# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

संख्या 01 / 2011

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी केलवाडा, जिला बारां ( प्रार्थी )

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र अमृत लाल किराड, निवासी महोदरा थाना केलवाडा हाल निलम्बित डीलर उचित मुल्य दुकान महोदरा जिला बारां

( अप्रार्थी )

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

उपस्थिति :— 1. परोकार रसद (प्रार्थी )
2. श्री रघुवीर मीणा अभिभाषक ( अप्रार्थी )

**निर्णय दिनांक 28.02.2024**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना केलवाडा में दर्ज प्रकरण संख्या 07 / 10 धारा 3 / 7 E.C. Act में आरोपी ओमप्रकाश पुत्र अमृत लाल जाति किराड निवासी महोदरा निलबित डीलर उचित मुल्य दुकान महोदरा के कब्जे से दौराने अनुसंधान उचित मुल्य दुकान महोदरा के लिये राशन कार्ड से वितरण किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये गेहूं 94.56 कि0 आरोपी द्वारा खुर्द बुर्द किये गये को दिनांक 14.12.2010 को बतोर वजह सबूत जप्त कर थाना केलवाडा के माल खाना में रखे हुये है। उपरोक्त सरकारी गेहू को चूहे व किडे मकोडे बोरियो को काट कर खुर्द बुर्द किया जा रहा है, जिससे गेहू नष्ट होने की पूर्ण संभावना है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 'ए' के तहत जब्तशुदा 94.56 क्वि. गेहूं को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 17.04.2012 को जवाब जर्ये अभिभाषक इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी को गेहूं वितरण करने का नियमानुसार दिया जाने वाला आदेश एस.डी.ओ. शाहाबाद द्वारा नही दिये जाने के कारण वितरण नही किया जा सका था। प्रार्थी ने स्टॉक में रखे गेहूं को वितरण करने के लिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों को लिखा, संबंधित अधिकारियों ने ना तो स्टॉक का मुल्यांकन किया, ना ही वितरण करने का आदेश दिया। जब प्रार्थी का बी.पी.एल. गेहूं का वितरण रजिस्टर प्रमाणित नही किया गया वह गेहूं वितरण करने में असमर्थ था। प्रार्थी ने इस संबंध में दिनांक [illegible].2009 को जिला रसद अधिकारी बारां को गेहूं वितरण करने हेतु रजिस्टर प्रमाणित करने बाबत लिखा जिसमें स्पष्ट लिखा कि प्रार्थी को फरवरी 2009 का अन्त्योदय गेहू व फरवरी माह 2009 का बी.पी.एल गेहूं प्राप्त हो चुका है, लेकिन उप जिला कलक्टर शाहाबाद द्वारा रजिस्टर प्रमाणित नही किए जाने पर गेहूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

[illegible] नही किया जा रहा है। इस पर भी जिला रसद अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया। इस संबंध में एक पत्र उप–जिला कलक्टर शाहाबाद को पत्र दिनांक 25.03.2009 को लिखा गया लेकिन उप जिला कलक्टर शाहाबाद ने कोई ध्यान नही दिया। इसके पूर्व [illegible].03.2009 को भी प्रार्थी द्वारा एवं दिनांक 05.03.2009 को भी प्रार्थी द्वारा रजिस्टर प्रमाणित करने बाबत उप जिला कलक्टर शाहाबाद को पत्र लिखे परन्तु उप जिला कलक्टर शाहाबाद ने कोई ध्यान नही दिया ना ही रजिस्टर प्रमाणित किए। रजिस्टर प्रमाणित न किए जाने से उक्त गेहूं का वितरण नही किया जा सका। इसमें प्रार्थी की कोई अनियमितता नही रही है। दिनांक 20.04.2009 को श्रीमान जिला कलक्टर बारां को भी इस संबंध में प्रार्थी ने निवेदन किया और लिखा कि उप जिला कलक्टर शाहाबाद द्वारा स्टॉक रजिस्टर प्रमाणित नही किया जा रहा है। इस योजना के गरीब परिवारों को गेहूं वितरण नही हो रहा है। कृपया एस.डी.ओ. शाहाबाद को रजिस्टर वितरण प्रमाणित करने का आदेश प्रदान करे जिसकी प्रति जिला रसद अधिकारी और उप जिला कलक्टर शाहाबाद को भी दी गई। बावजूद इस पत्र के कोई आदेश पारित नही किया गया। दिनांक 23.04.2009 को प्रार्थी को डीलरशिप से हटा दिया गया और उसका चार्ज भवानीशंकर मेहता उचित मूल्य की दुकान सिरसोदकलां को दे दिया गया। लेकिन उक्त डीलर ने भी आकर गेहूं वितरण नही किया इस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.06.2009 को एक पत्र जिला रसद अधिकारी बारां को ''गेहूं का डिस्पेज करने बाबत'' लिखा उसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि इस दुकान का अटेचमेण्ट सिरसोदकला के उचित मुल्य दुकानदान भवानीशंकर को अधिकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी गेहूं का वितरण करने में असमर्थ है। कृपया मेरे स्टॉक में अन्त्योदय व बी.पी.एल. योजना के गेहूं के डिस्पेज करने की व्यवस्था करे इस पर भी जिला रसद अधिकारी बारां ने कोई कार्यवाही नही की। प्रार्थी को इस संबंध में जब जानकारी मिली कि 6 ए का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तो प्रार्थी ने 26.04.2011 को उपस्थिति दी। उसे ज्ञात हुआ कि श्रीमान द्वारा 7.1.2011 को गेहूं का डिस्पोजल किया जा चुका है। श्रीमान् द्वारा उक्त आदेश एकतरफा दिया गया है जबकि उक्त गेंहू का मूल्य प्रार्थी द्वारा अदा किया गया है। अतः उक्त कार्यवाही को निरस्त किया जाकर गेहूं का खरीद मूल्य जो प्रार्थी ने अदा किया है वह प्रार्थी को दिलाया जावे।

3– हमने जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अप्रार्थी अनुपस्थित होने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चिय किया।

4– बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ओमप्रकाश पुत्र अमृत लाल जाति किराड़ निवासी महोदरा डीलर उचित मुल्य दुकान महोदरा के कब्जे से 94.56 कि0 गेहूं आरोपी [illegible] बुर्द किये है। उपरोक्त सरकारी गेहू को विक्रय किया जाकर प्राप्त राशि [illegible] दिनांक 9.11.2011 से जमा करवा दी गई है। अतः आवश्[illegible] अधिनि[illegible] 1955 की धारा 6 'ए' के तहत जब्तशुदा 94.56 क्वि. गेहूं को राजसात [illegible] फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:27 IST
Reason: SelfAttested

5– हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि डीलर ओमप्रकाश मेहता

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

उचित डीलर महोदरा द्वारा माह फरवरी एवं मार्च 2009 को अंत्योदय, बी.पी.एल. योजना हेतु गेहूं का वितरण नही किया तथा विगत छः माह का रिकार्ड डीलर द्वारा उपलब्ध नही कराया गया। एस.डी.एम. शाहाबाद के कार्यलय से भी रजिस्टर प्रमाणित नही करना डीलर ने अपने जवाब मे अंकित किया है। गेहूं उठाव के बारे में राजस संघ बारां से जानकारी लिये जाने पर डीलर द्वारा फरवरी 2009, मार्च 2009 बिल नंबर 788 अंत्योदय गेंहू 66.85 कि0, बिल नंबर 862 बी.पी.एल. गेहूं 4.50 कि0 योग 66,85,900 कुल 75.58 क्वि. गेंहू का उठाव डीलर द्वारा किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि डीलर ओमप्रकाश मेहता उचित मुल्य दुकानदान द्वारा गेहूं का उठाव कर उपभोक्ताओं में वितरण नही किया जाकर सीधे ही खुर्द बुर्द कर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत उसे जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या –5ए–6,11 15, 17(सी) 18 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गेहूं को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

6– परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 94.56 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाता है। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी बारां जप्त शुदा गेहूं के विक्रय से प्राप्त राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि का विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(रोहितास्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:27 IST
Reason: SelfAttested